1/15 (FSSA) सरकार/गणेश कुमार मंगल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/4/26

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। वकील अभियुक्तगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2026 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दाखिल वर्तमान प्रकरण, जिसकी मुकदमा पंख्या 01/2015 है, विधिनिषेधात्मक आदेशों के विरुद्ध है चूंकि उत्पाद की निर्माता कंपनी (मेसर्स नैस्ले इंडिया लिमिटेड) व उसके नॉमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है. इसी कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अपोषणीय है व खारिज किए जाने योग्य है। वर्तमान प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमे मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड (कंपनी) द्वारा उत्पादित नेस्ले एब्रीडे घी उत्पाद के संबंध में Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) regulations, 2011 व धारा 3(1) (2f) (A) (i) (a) एफएसएसए का उल्लंघन आरोपित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कंपनी व उसके नॉमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में वर्तमान प्रकरण अपोषणीय है व चलने योग्य नहीं है। यहाँ यह कथन करना उचित होगा की कंपनी एक न्यायोचित व्यक्ति (जुरिस्टिक पर्सन) है व बिना कंपनी को व उसके नॉमिनी को पक्षकार बनाए, तथा अभियुक्तगण को कथित अपराधों हेतु लायबिल (liable) ठहराया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है, जिस कारण वर्तमान प्रकरण में प्रोसीडिंग्स निरस्त किया जाना उचित है। दंड विधियों के सख्त निर्माण सिद्धांत के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्रा. लि." (2012) 5 SCC 661 में आदेश पारित कर यह स्पष्ट किया है किं कंपनी द्वारा अपराध करना निदेशकों की परोक्ष दायित्व के लिए अनिवार्य शर्त है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कंपनी तो दूर की बात है, उसके नॉमिनी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन तभी मान्य है जब कंपनी व उसके नॉमिनी को आरोपी बनाया जाए। यहाँ यह कथन करना आवश्यक है की वर्तमान मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न तो कंपनी को और न ही उसके नॉमिनी को पक्षकार बनाया है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतो की दृष्टि में वर्तमान प्रकरण अपोषणीय होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। कंपनी एक स्वतंत्र विधिक इकाई है। बिना कंपनी को व उसके नॉमिनी को आवश्यक पक्षकार बनाए उसके विरुद्ध परोक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती। कंपनी व उसके नॉमिनी को पक्षकार बनाए जाने के अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण चलने योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकरणों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियोजन के लिए कंपनी को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। यह भी कथन किया जाता है की वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप या भूमिका का कथन नहीं है। निर्माता कंपनी व उसके नॉमिनी को पक्षकार न बनाए जाने के कारण से अभियुक्त[illegible] विरुद्ध कोई कारण कार्य (cause of action) उत्पन्न ही नहीं [illegible] है वर्तमान प्रकरण में अपरिवर्तनीय दोष (incurable defect) है अतः वर्तमान प्रकरण अपोषणीय व खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मदों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 01/2015 [illegible] प्रकाश पुर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गणेश कुमार मंगल" को खारिज फरमाए जाने के आदेश पारित किए जाए। अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश यह माननीय न्यायालय अनुकूल और न्यायसंगत समझे, वह प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा निर्माता कम्पनी नेस्ले इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड एवं सम्बंधित सी.टी.ओ. को निर्माता कम्पनी के नोमिनी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कम्पनी के खाद्य अनुज्ञापत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु लिखा गया था किन्तु निर्माता कम्पनी के नोमिनी एवं निर्माता के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए तब तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा जिन विक्रेता एवं अन्य ट्रेडर्स की सूचना प्राप्त हुई उक्त सूचना के आधार पर तत्कालीन श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मुझे आदेशित किया गया था जिसके आधार पर मेरे द्वारा न्यायनिर्णयन आवेदन तैयार कर श्रीमान् जी को प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं उस पर मनन करने तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा पेश किये गये न्याय निर्णयन आवेदन में अभियुक्तगण से प्राप्त अग्रिम खरीद बिल के आधार पर निर्माता कम्पनी एवं निर्माता कम्पनी के नोमिनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कंपनी एक न्यायोचित व्यक्ति (जुरिस्टिक पर्सन) है व बिना कंपनी को व उसके नॉमिनी को पक्षकार बनाए, तथा अभियुक्तगण को कथित अपराधों हेतु लायबिल (liable) ठहराया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में वकील अभियुक्तगण द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग "अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्रा. लि." (2012) 5 SCC 661 पेश की गई है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा अपराध करना निदेशकों की परोक्ष दायित्व के लिए अनिवार्य शर्त है। कंपनी एक स्वतंत्र विधिक इकाई है। बिना कंपनी को व उसके नॉमिनी को आवश्यक पक्षकार बनाए उसके विरुद्ध परोक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती। अभियोजन के लिए कंपनी को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:55 IST
Reason: SelfAttested